<u>संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें</u>
<u>मध्यप्रदेश</u>

क.9/नर्सिंग/सेल 1/2017/531 भोपाल दिनांक 11/5/2017

प्रति,

समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय – नर्सिंग **समस्त** संवर्ग की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में **जारी अनन्तिम वरियता सूची में सुधार करने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नर्सिंग संवर्ग की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में जारी अनन्तिम वरीयता सूची विभाग की वेवसाइट <u>www.health.nic.in</u> पर प्रकाशित कर समस्त संभागों एवं जिलों को मेल किया गया है।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ कार्यरत नर्सिंग संवर्ग की दिनांक 1.4.2017 की स्थिति में जारी अनन्तिम वरियता सूची में सुधार हेतु निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें :–

1. समस्त कर्मचारियो की स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति दिनांक ही अंकित की जावें। यदि स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति से पूर्व कर्मचारी एएनएम अथवा एलएचव्ही के पद पर पदस्थ रहा हो ऐसी स्थिति मे जिस दिनांक में स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है वही कर्मचारी की स्टाफ नर्स के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक मान्य की जावेगी। **स्टॉफ नर्स की वरीयता सूची से ए.एन.एम. की नियुक्ति दिनांक का कोई संबंध नही हैं।**
2. ऐसे कर्मचारी जिनकी पदस्थापना वर्ष 1989 के पूर्व एल.एच.व्ही. के पद (स्टॉफ नर्स के समकक्ष वेतनमान) पर की गई हैं **यद्यपि वे नियुक्ति के पूर्व जी.एन.एम. प्रशिक्षित हैं, स्टाफ नर्स के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक एल.एच.व्ही.के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही मानी जावेगी।**
3. कर्मचारी की जन्मतिथि, जाति एवं स्टाफ नर्स के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से संबधित जानकारी।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी की पदस्थापना संशोधन संबंधी जानकारी।
5. सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पदोन्नत कर्मचारियों के नाम संबंधित वरियता सूची में जोड़ने एवं हटाने से संबंधित जानकारी।
6. नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों के यूनिक एम्पलाई कोड. मोबाइल नं एव ईमेल की जानकारी।
7. जिन स्टाफ नर्सेस के द्वारा **विभाग के नियमानुसार बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया गया है केवल उन्ही कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता वरियता सूची में इंद्राज की जावे।**
8. स्टॉफ नर्सेस के द्वारा नियुक्ति के उपरांत बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग आदि नवीन शैक्षणिक योग्यता वरियता सूची में अंकित करने अथवा सुधार करने संबंधी समस्त दस्तावेज (डिग्री. रजिस्ट्रेशन, प्रशिक्षण हेतु विभाग का अनुमति पत्र, प्रशिक्षण हेतु संस्था का कार्यमुक्ति आदेश) साथ लावें।
9. नर्सिंग संवर्ग की जारी अनन्तिम वरीयता सूची के कर्मचारियों की जाति/नियुक्ति दिनांक/शिक्षा से संबंधित जो भी त्रुटी हो अथवा सुधार किया जाना हो, नाम सूची से हटाया जाना हो अथवा जोडा जाना हो केवल **उन्हीं कर्मचारियों की सूची तैयार करें एवं उसमें अनन्तिम वरियता सूची का सरल क. आवश्यक रूप से अंकित करें।**
10. स्टॉफ नर्सेस की वरियता सूची में विशेष प्रशिक्षण–कीमोथेरेपी, ट्रामा, आई.सी.यू., डायलिसिस, एस.बी.ए. आदि की जानकारी वरियता सूची निर्धारित कालम में अंकित करें।
11. समस्त संवर्ग की अनन्तिम वरियता सूची मे जो कॉलम रिक्त है. उनकी जानकारी भी अनिवार्य रूप से साथ में लावें।

12. आपके अधिनस्थ यदि कोई अन्य विभाग का नर्सिंग संवर्ग का कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर/स्थानांतरित होकर पदस्थ है तो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की वरियता सूची में उसका नाम अंकित न करें अथवा रिमार्क कॉलम में उसके मूल विभाग का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करें।
13. यदि कोई मेल नर्स पदस्थ है तो वरियता सूची में उसके नाम के सम्मुख पुरूष अंकित करें।

दिनांक 1.4.2017 की जारी की गई अनन्तिम वरियता सूची में बिन्दु क्र. 1 से 11 तक दिये गये निर्देशों का पालन कर सुधार उपरांत तैयार की गई जानकारी सॉफ्ट एवं हार्ड कापी के साथ अपने जिले के सम्मुख दर्शाये गये निम्नानुसार दिनांक एवं समय पर संबंधित जिले के नर्सिंग कार्य से संबंधित लिपिक को अनिवार्य रूप से संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं की नर्सिंग शाखा में उपस्थित होने हेतु निर्देशत करें, ताकि समय-सीमा के अंदर नर्सिंग केडर की अंतिम वरियता सूची जारी की जा सके।

क्र0	जिले का नाम	संचालनालय में उपस्थित होने की दिनांक को समय प्रातः 10:30 बजे से
1	भोपाल	29.06.2017
2	बैतूल	30.06.2017
3	होशंगाबाद	01.07.2017
4	हरदा	03.07.2017
5	रायसेन	04.07.2017
6	राजगढ़	04.07.2017
7	सीहोर	05.07.2017
8	विदिशा	05.07.2017
9	रीवा	07.07.2017
10	अनूपपुर	07.07.2017
11	सतना	10.07.2017
12	शहडोल	10.07.2017
13	उमरिया	11.07.2017
14	सीधी	11.07.2017
15	सिंगरौली	12.07.2017
16	अशोकनगर	14.07.2017
17	भिण्ड	14.07.2017
18	दतिया	17.07.2017
19	गुना	18.07.2017
20	मुरैना	18.07.2017
21	ग्वालियर	19.07.2017
22	शिवपुरी	20.07.2017
23	श्योपुर	20.07.2017
24	अलीराजपुर	22.07.2017
25	झाबुआ	22.07.2017
26	बुरहानपुर	24.07.2017
27	बडवानी	24.07.2017
28	धार	25.07.2017
29	इदौर	26.07.2017
30	खण्डवा	27.07.2017
31	खरगौन	28.07.2017

32	बालाघाट	31.07.2017
33	छिंदवाड़ा	01.08.2017
34	जबलपुर	02.08.2017
35	डिण्डोरी	03.08.2017
36	कटनी	03.08.2017
37	मण्डला	04.08.2017
38	सिवनी	05.08.2017
39	नरसिंहपुर	05.08.2017
40	दमोह	09.08.2017
41	सागर	10.08.2017
42	छतरपुर	10.08.2017
43	पन्ना	11.08.2017
44	टीकमगढ़	11.08.2017
45	देवास	16.08.2017
46	आगर	17.08.2017
47	शाजापुर	17.08.2017
48	मंदसौर	18.08.2017
49	उज्जैन	21.08.2017
50	नीमच	22.08.2017
51	रतलाम	22.08.2017

उपरोक्त दिनांक को जानकारी के साथ संबंधित जिले के लिपिक के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि उनके द्वारा अंकित कराई गई समस्त प्रविष्टियॉ/जानकारी सही है। जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित लिपिक स्वयं जिम्मेदार होगा।

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र.9/नर्सिग/सेल 1/2017 भोपाल दिनांक /4/2017

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
2. समस्त, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ जिलों में संबंधित जानकारी तैयार कराकर निर्धारित तिथी पर लिपिक के हस्ते संचालनालय को भेजने हेतु निर्देशित करे।
3. प्राचार्य नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन, जबलपुर,/प्रभारी प्राचार्य जी.एन.एम. समस्त की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ पदस्थ समस्त नर्सिंग संवर्ग कर्मचारियों की जानकारी तैयार कर सी.एम.एच.ओ./सी.एस. कार्यालय में पदस्थ लिपिक को उपलब्ध करावें एवं उनके द्वारा तैयार की गई वरियता सूची को जॉच कर लेवें।

संचालक (नर्सिग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश